Industrial Training Institute

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय प्रधानाचार्य
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
अगवार, एत्मादपुर, आगरा-283202

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

Directorate General of Training

ई मेल / E-mail: giti170@vppup.in वेबसाइट / Website: www.gitietmadpur.com

पत्रांक: स्था./प्रशिक्षण/मोबाइल फ़ोन/2022/ 390 दिनांक: 04/11/22

कार्यालय – आदेश

संस्थागत अनुशासन समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या अनुसार कतिपय व्यवसायों के प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण समयावधि में कक्षाओं / कार्यशालाओं में विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त करने के स्थान पर मोबाइल फ़ोन पर वार्ता करते हुए / सेल्फी लेते हुए / वीडियो बनाते हुए इत्यादि कृत्य करते हुए पाये जा रहे हैं जो कि कदापि स्वीकार्य नहीं है तथा उक्त कृत्य संस्था के अनुशासन को भंग करने के साथ साथ प्रशिक्षण कार्य में भी व्यवधान उत्पन्न करने वाला है।

2. उक्त वस्तुस्थिति के क्रम में प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण हित एवं संस्था हित में समस्त प्रशिक्षार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिदिन प्रशिक्षण समयावधि में अपना मोबाइल फ़ोन अपने नाम की पर्ची चस्पा करते हुए सम्बंधित अनुदेशक के पास उपलब्ध पंजिका में समस्त विवरणों की प्रविष्टि करते हुए SWITCH OFF / SILENT कर जमा करेंगे तथा प्रशिक्षण समयावधि पश्चात पंजिका में प्राप्ति हस्ताक्षर कर वापस प्राप्त करेंगे।

3. सम्बंधित अनुदेशक अपने व्यवसाय के समस्त प्रशिक्षार्थियों से उक्तानुसार प्रतिदिन मोबाइल फ़ोन प्राप्त कर उनके विवरण यथा प्रशिक्षार्थी का नाम, मोबाइल नंबर, मोबाइल कंपनी एवं मॉडल इत्यादि विवरण एक पंजिका में अंकित करते हुए समस्त मोबाइल फ़ोनों पर सम्बंधित प्रशिक्षार्थियों के नाम की पर्ची चस्पा करवाते हुए समस्त मोबाइल फ़ोन एक मोबाइल बॉक्स में SWITCH OFF / SILENT करवा कर जमा रखेंगे तथा प्रशिक्षण समयावधि पश्चात पंजिका में प्राप्ति हस्ताक्षर करवा कर सम्बंधित प्रशिक्षार्थियों को वापस करेंगे।

4. विशेष परिस्थिति में सम्बंधित प्रशिक्षार्थी के अनुरोध पर यदि सम्बंधित अनुदेशक उचित समझे, सम्बंधित प्रशिक्षार्थी को मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराया जा सकता है जिसे वार्ता अथवा सम्बंधित कार्य पूर्ण उपरांत वापस जमा कर लिया जायेगा।

5. इस आदेश के जारी होने की तिथि पश्चात यदि प्रशिक्षण समयावधि में बिना अनुमति के किसी प्रशिक्षार्थी के पास मोबाइल फ़ोन पाया जाये अथवा कोई प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण समयावधि में बिना अनुमति के मोबाइल फ़ोन पर वार्ता करते हुए / सेल्फी लेते हुए / वीडियो बनाते हुए पाया जाये तो ऐसी स्थिति में सम्बंधित अनुदेशक सम्बंधित प्रशिक्षार्थी का मोबाइल फ़ोन जब्त करते हुए अनुशासनहीनता सम्बन्धी कार्यवाही हेतु प्रकरण सम्बंधित कार्यदेशक की संस्तुति सहित संस्थागत अनुशासन समिति को प्रेषित करेंगे।

6. उक्त आदेश का अक्षरशः पालन तथा निरंतर अनुश्रवण हेतु श्री बृजेश कुमार, वरिष्ठ कार्यदेशक / प्रशिक्षण प्रभारी / अध्यक्ष अनुशासन समिति, संस्थागत उत्तरदायी रहेंगे।

7. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा तथा इसका अक्षरशः एवं कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(मोहित तिवारी)
प्रधानाचार्य

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
एत्मादपुर, आगरा

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक – यथोपरि

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशि./शिक्षु.), आगरा मण्डल, आगरा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. नोडल अधिकारी / प्रधानाचार्य, रा.औ.प्र.संस्थान, बल्केश्वर आगरा।
5. श्री बृजेश कुमार, कार्यदेशक / प्रशिक्षण प्रभारी / अध्यक्ष अनुशासन समिति, संस्थागत को पालनार्थ।
6. समस्त कार्यदेशकों, व्यवसाय प्रभारियों एवं अनुदेशकगणों, संस्थागत को इस निर्देश के साथ कि प्रभाराधीन व्यवसायों में प्रशिक्षणरत समस्त प्रशिक्षार्थियों को उक्त निर्देशों से अवगत कराते हुए कडाई से पालन करवाना सुनिश्चित करें।
7. समस्त प्रशिक्षार्थी, संस्थागत को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त आदेश का अक्षरशः एवं कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में वे स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।
8. श्री गजराज सिंह, अनुदेशक / वेबसाइट प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि इस आदेश की प्रति संस्था की वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करें।
9. अनुशासन समिति उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को पालनार्थ।
10. सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
11. गार्ड फाइल।

(मोहित तिवारी)
प्रधानाचार्य